विनोददेवी बनाम चौथुराम आदि

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
.11.2024 वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में सहवन से रोही कालासर के ख.नं. 124/55 की 4.806 है. भूमि प्रार्थना पत्र में दर्ज होने से सहवन से रह गई। जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र में उक्त रकबा जोड़ा जावे व स्थगन आदेश में उक्तानुसार संशोधन किया जावे। वकील प्रार्थीया ने दस्तावेज प्रस्तुत किये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र एवं आदेश दिनांक 06.11.2024 में रोही कालासर के ख.नं. 124/55 की 4.806 है. भूमि जोड़े जाने के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थीया संशोधित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करें। पत्रावली आईन्दा दिनांक 06.12.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़	

06/12/2024 वकुलाए फरीकैन उपस्थित/PU माह दिसम्बर पर है। पत्रावली आर्थापिका के जवाब हेतु मय दस्तावेज जो कि वकील वास्ते पेशी दिनांक 10/12/2024 को पेश हो। M तकनिकी कारणों वश लिखे।

10/12/2024 वकुलाए फरिकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि प्रार्थीया विनोददेवी द्वारा दिनांक 13/8/24 को एक प्रार्थना पत्र 212 RTA अधीनस्थ के विरुद्ध पेश किया गया था जो दिनांक 08/10/2024 को निर्णीत हो चुका है। प्रार्थीया द्वारा निर्णय दिनांक 08/10/2024 को अपील प्रस्तुत न्यायालय में प्रस्तुत करने की बजाय नया वाद/प्रार्थना पत्र इन्हीं तथ्यों के आधार पर विरुद्ध अधीनस्थ पेश किया है जो विधि सम्मत नहीं है अतः प्रार्थीया मौजूदा स्थिति में [illegible] पत्रावली नकल से क्या [illegible] हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.12.20 13:04:15 IST
Reason: SelfAttested